

कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार

क्रमांक / सीडर-भू-अर्जन / 2019
3765



बड़वानी दिनांक

5/7/2019

कलेक्टर रा. प्र. क्र. 08 अ 82 / 2019-20

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदा तहसील टीकरी जिला बड़वानी में 2.632 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात् 6.50 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है)-अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक।

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू-खण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अजंदा तहसील टीकरी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार अधिभूत भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नंबर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितक व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	99/1/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	0.220	सखाराम मयाराम दयाराम सीताराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी
2	100/1 101/1/2/क/1	भू-स्वामी	निजी भूमि	2.412	लच्छीराम पिता शोभाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी
योग				2.632	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 टीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्रि अधिकारी और उसके कर्मचारिवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमूदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्तीय सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर को समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाडी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-8 की उपधारा 2 क के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।



(अमित तोमर)
कलेक्टर
जिला - बुड़वांनी, म.प्र.
एवं समुचित सरकार